भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *349

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2026

'उमीद' पोर्टल में तकनीकी और परिचालन संबंधी कठिनाइयां

***349. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय 'उमीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्ति से संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाने के संबंध में केरल वक्फ बोर्ड सहित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा सूचित की गई तकनीकी और परिचालन संबंधी कठिनाइयों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पोर्टल पर पंजीकृत और अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और डिजिटलीकरण प्रक्रिया को पूरा किए जाने में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) तकनीकी खामियों को दूर करने, कार्यान्वयन संबंधी समय-सीमा बढ़ाने और राज्य वक्फ बोर्ड के अभिलेखों का 'उमीद' पोर्टल के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

''उमीद' पोर्टल में तकनीकी और परिचालन संबंधी कठिनाइयां' विषय पर माननीय सांसद श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *349 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास (उम्मीद) अधिनियम, 1995, यथासंशोधित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 3(टक) के अनुसार वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने, नए वक्फ का पंजीकरण करने तथा वक्फ संपत्तियों के समग्र प्रबंधन एवं अभिशासन को पारदर्शी तरीके से सुगम बनाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 विकसित किया गया एवं इसे दिनांक 06.06.2025 को प्रारंभ किया गया है। अधिनियम के अनुसार, उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व पंजीकृत सभी मौजूदा वक्फ का विवरण छह माह की अवधि के भीतर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

पोर्टल के प्रारंभ होने के उपरांत, विशेषकर प्रारंभिक चरण में तथा एक साथ अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने की अवधि के दौरान, कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा समय-समय पर तकनीकी एवं परिचालन संबंधी समस्याओं की सूचना दी गई। ये समस्याएं केरल राज्य सहित लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक जैसी थी तथा अधिकांशतः अस्थायी और परिचालनात्मक स्वरूप की थी।

ये समस्याएं मुख्यतः बड़ी मात्रा में पुरातन डेटा के डिजिटलीकरण, उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी में भिन्नता, क्षेत्रीय स्तर के कार्मिकों की डिजिटल तैयारी विभिन्न स्तरों पर होने तथा कुछ राज्य वक्फ बोर्डों के पास अभिलेखों की उपलब्धता में कमी के कारण उत्पन्न हुईं। रिपोर्ट की गई समस्याओं में कभी-कभी लॉगिन में विलंब होना शामिल था, जो उपयोगकर्ता पक्ष की कनेक्टिविटी संबंधी कारणों से हो सकता है तथा कुछ अनिवार्य दस्तावेजों का प्रस्तुत न किया जाना भी इनमें शामिल था।

यद्यपि प्रारंभिक महीनों के दौरान पोर्टल पर अपलोड की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, तथापि बाद की अवधि में, विशेष रूप से छह माह की समय-सीमा निकट आने पर, अपलोड की गई संपत्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। उपयोगकर्ताओं की ऐसी बढ़ती संख्या की व्यवस्था के लिए, मंत्रालय द्वारा पोर्टल के सुचारु एवं निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वर की क्षमता में आवश्यक वृद्धि संबंधी उपाय किए गए। दिनांक 07.08.2026 की स्थिति के अनुसार, उम्मीद केंद्रीय पोर्टल-2025 पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वक्फ प्रगति रिपोर्ट **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) उम्मीद अधिनियम, 1995 की धारा 3-ख(1) के अनुसार, इस अधिनियम के कार्यान्वयन से पूर्व इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक वक्फ तथा वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण छह माह की अवधि के भीतर पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा तथा मुतवल्ली द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर वक्फ अधिकरण द्वारा इस अवधि को अधिकतम छह माह तक और बढ़ाया जा सकता है। अतः इस अधिनियम में राज्य वक्फ बोर्ड के अभिलेखों तथा उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के निर्बाध एकीकरण का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को समय-विस्तार प्रदान किया गया है जिन्होंने पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने हेतु निर्धारित प्रारंभिक छह माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात संबंधित माननीय वक्फ अधिकरणों/उच्च न्यायालयों से समय-विस्तार का अनुरोध किया था।

पोर्टल में एक निगरानी तंत्र भी विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से अपलोड की गई, अनुमोदित, लंबित अथवा वापस भेजी गई वक्फ संपत्तियों की स्थिति का निरंतर अनुश्रवण किया जाता है। यह तंत्र बाधाओं की शीघ्र पहचान, लक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा अनुपालन-उन्मुख व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाता है।

इसके अतिरिक्त, उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही टोल-फ्री नंबर (1800-11-0150) तथा ई-मेल पता (support-umeed@gov.in) के साथ उम्मीद हेल्पडेस्क संचालन भी शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पोर्टल से संबंधित प्रश्नों एवं समस्याओं का समाधान तथा उपयोगकर्ताओं को तत्काल सहायता प्रदान करना है। हेल्पडेस्क तंत्र के माध्यम से प्राप्त सभी समस्याओं एवं प्रश्नों की जांच की जाती है तथा आवश्यक स्पष्टीकरण, टिप्पणियों एवं समाधान के साथ उनका निस्तारण किया जाता है।

अनुबंध-I

"उमीद' पोर्टल में तकनीकी और परिचालन संबंधी कठिनाइयां' विषय पर माननीय सांसद श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *349 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वक्फ प्रगति रिपोर्ट (दिनांक 07.08.2026 की स्थिति के अनुसार)									
क्र.सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	निर्माणकर्ता द्वारा प्रविष्टि हेतु प्रस्तुत की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या	निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत वक्फ संपत्तियों की संख्या (जांचकर्ता के स्तर पर लंबित)	जांचकर्ता द्वारा प्रस्तुत वक्फ संपत्तियों की संख्या (अनुमोदक के स्तर पर लंबित)	अनुमोदक द्वारा अनुमोदित वक्फ संपत्तियों की संख्या	अब तक शुरू/पूर्ण की गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या	अनुमोदक द्वारा अस्वीकृत वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या	जांचकर्ता द्वारा अस्वीकृत की गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या	निर्माणकर्ता को वापस भेजी गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	(ङ)	(च)	(छ)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	58	0	1	147	213	2	0	5
2	आंध्र प्रदेश	318	429	63	14698	15584	17	0	59
3	असम	72	412	31	190	734	17	0	12
4	बिहार शिया	245	28	5	5955	6312	24	0	55
5	बिहार सुन्नी	1357	1734	48	6700	11419	152	0	1428
6	चंडीगढ़	1	0	0	22	23	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	132	38	0	2089	2444	129	0	56
8	दिल्ली	270	1688	297	352	3233	6	25	595
9	गुजरात	2844	26	9	24508	30789	204	0	3198
10	हरियाणा	408	0	0	12919	13447	7	0	113
11	हिमाचल प्रदेश	58	16	0	837	915	0	0	4
12	जम्मू एवं कश्मीर	223	34	10	25248	25568	5	0	48
13	झारखंड	221	750	3	135	1109	0	0	0
14	कर्नाटक	4114	58	2	53509	58846	64	0	1099
15	केरल	3898	8024	24	63086	79929	78	1	4818
16	लक्षद्वीप	131	37	0	298	479	5	0	8
17	मध्य प्रदेश	1939	6076	566	22362	32375	798	0	634
18	महाराष्ट्र	4486	10402	52	46961	71947	754	0	9292
19	मणिपुर	17	89	91	374	576	0	0	5
20	मेघालय	0	0	0	13	13	0	0	0
21	ओडिशा	471	126	357	4118	6773	1579	1	121
22	पुडुचेरी	24	62	4	507	624	0	0	27
23	पंजाब	735	7	1	25374	26339	93	0	129
24	राजस्थान	2342	664	95	17418	32705	3713	150	8323
25	तमिलनाडु	2187	991	2	8014	15120	2903	0	1023
26	तेलंगाना	3797	1	7	54605	63982	1807	0	3765
27	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	1	0	0	2	0	0	0
28	त्रिपुरा	23	0	0	2710	2778	0	0	45
29	उत्तराखंड	276	91	146	1605	2385	7	1	259
30	उत्तर प्रदेश शिया	1001	327	26	4758	8170	184	0	1874
31	उत्तर प्रदेश सुन्नी	13866	5720	198	103184	152697	4983	0	24746
32	पश्चिम बंगाल	3676	1515	12	115551	131764	143	0	10867
कुल		**49191**	**39346**	**2050**	**618247**	**799294**	**17674**	**178**	**72608**